कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग–धमतरी (छ.ग.)

Email :- ee.dhamtari@nic.in
Phone no. – 07722-235519

ज्ञाप. क्र. 1710 /शिल्प–24/ धमतरी, दिनांक 08/04/ 2024

प्रति,

वन मंडलाधिकारी,
धमतरी वनमंडल जिला–धमतरी (छ.ग.)

विषयः– **Diversion of 37.973 ha. of forest land for non-forest purpose under the Van (Sanrakshan Evan Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in Favour of PWD(B&R) Division Dhamtari proposed for upgradation renewal and widening work of Megha-Singpur-Dugali Road i/c culvert and bridge work total length 35.00 k.m. within the 23.715 k.m. length of road is proposed under the Forest Land Diversion in Dhamtari forest Division, Dhamtari District in the State of Chhattisgarh reg-**
पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD/ 51953/2022 Date 04.05.2022

संदर्भः– 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रिय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक / FC-8/5/2024- IRO/Raipur/1593 दिनांक 29.02.2024
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ) छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध /115–921/637 दिनांक 01.03.2024
3. आपका पत्र क्रमांक /मा.चि./व.स.अ./31/जी/1299 दिनांक 04.03.2024
4. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/1297/शिल्प–24/वन विभाग/धमतरी, दिनांक 13.03.2024
5. आपका पत्र क्रमांक /मा.चि./व.स.अ./31/जी/2092 धमतरी दिनांक 02.04.2024

––000––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य रकबा 37.973 हें. प्रकरण मे संदर्भित पत्र 1 के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन् एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रिय कार्यालय नवा रायपुर द्वारा 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी। जिसे संदर्भित पत्र क्र. 4 के माध्यम से 5 बिन्दुओं की निराकरण कर जानकारी आपकी ओर प्रेषित की गई थी। पुनः आपके द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 5 के माध्यम से बिन्दु क्रमांक 05 मे आपत्ति संबधी पत्र प्राप्त हुआ हैं।

अतः भारत सरकार द्वारा चाही गई 05 बिन्दुओं की जानकारी मे से बिन्दु क्रमांक 05 के अनुक्रम मे व्यपवर्तन हेतु वन क्षेत्र के आस–पास (भाग-II मे उल्लेख अनुसार) पाये जाने वाले दुर्लभ/संकट ग्रस्त वनस्पतियों व प्राणियों के संरक्षण एवं सर्वधन हेतु योजना के लिए बिन्दु क्रमांक 5 के संबंध मे वचन–पत्र तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग धमतरी
संभाग–धमतरी (छ.ग.)

पृ. क्र. .... /शिल्प 24/ धमतरी, दिनांक ....../....../ 2024

प्रतिलिपिः–1. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर परिक्षेत्र रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ संम्प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग मंडल क्र. 02 रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित्।
3. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग–नगरी/कुरूद को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

सहपत्र :– शून्य।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग धमतरी
संभाग–धमतरी (छ.ग.)

<u>अतिरिक्त जानकारी बिन्दु क्रमांक 5 के संबंध में वचन पत्र</u>

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/ File No. FC-8/5/2024-IRO-RAIPUR/1598 Date 29/02/2024

(v) Cocerned DFO has mention in Part-II and site inspections report that some rare and endangered species of flora and fauna are found in the area. In this regard user agency needs to submit a conservation plan with counsultation of the State Forest Government of Chhattishgarh.

आवदेक संस्थान, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, धमतरी संभाग धमतरी वचन देता है, कि मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग निर्माण में प्रभावित वन क्षेत्र के आस–पास पाये जाने वाले दुर्लभ एवं विलुप्तप्राय प्रजाति के वनस्पति एवं जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वन विभाग के परामर्श से योजना तैयार कर प्रकरण के प्रथम चरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावेगा तथा उसके क्रियान्वयन हेतु वांछित राशि वन विभाग के पास जमा किया जावेगा।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग
धमतरी संभाग धमतरी

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग–धमतरी (छ.ग.)

Phone no. – 07722-235519 Email :- ee.dhamtari@nic.in

ज्ञाप. क्र. 1297 /शिल्प–24/वन विभाग/ धमतरी, दिनांक 13/03/ 2024

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी (सामान्य),
वनमण्डल धमतरी (छ.ग.),

विषय :– **धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु PWD (B&R) Division Dhamtari द्वारा Upgradation Renewal and widening work of Megha-Singpur-Dugli- Road i/c culvert and bridge work. Total length 35 Km. within is proposed 23.715 Km length. Forest land diversion हेतु क्षेत्रफल 37.973 हेक्टेयर पंजीयन बाबत्।**

संदर्भ :– 1. भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्ततन मंत्रालय, उप कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक FC-8/5/2024-IRO-RAIPUR/ 1593 दिनांक 29/02/2024

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ.) रायपुर का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध विविध/115-921/637 दिनांक 01.03.2024

3. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/जी/ 1299 दिनांक 04.03.2024

–––000–––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक–3 के माध्यम से भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्ततन मंत्रालय, उप कार्यालय, रायपुर उठाई गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार अवलोकनार्थ प्रस्तुत है :–

स.क्र.	आपत्ति	निराकरण
1	User Agency shall submit the map and KML file of the entire alignment highlighting forest area proposed for diversion and location of all structures (Bridge, Box culverts etc).	मेघा–सिंगपुर–दुगली प्रस्तावित मार्ग संपूर्ण लंबाई का KML File जिसमें वनक्षेत्र को हाईलाईट किया गया है तथा ब्रीज एवं बॉक्स कल्वर्ट की स्थिति दर्शित है। (सी.डी. में संलग्न है।)
2	Consolidated single KML file of the entire road alignment under the instant proposal highlighting the proposed forest area for diversion needs to be submitted.	पूरे प्रस्तावित मार्ग का KML File जिसमें प्रभावित वनभूमि, जिसका व्यपवर्तन प्रस्तावित है, को हाईलाईट करते हुए सी.डी. में संलग्न है।
3	In KML file of the proposed road in the high-resolution Google Earth its appears that proposed road is passing through PAs area of Sitanadi Wildlife Sanctuary. Map with 10 Km radius of PA needs to be submitted	प्रस्ताव अंतर्गत प्रस्तावित सड़क उन्नयन एवं चौड़ीकरण सीतानदी अभ्यारण्य सीमा से 10 कि.मी. परिधि से दूर स्थिति है, प्रस्ताव में संलग्न वन आवरण मानचित्र में प्रस्तावित मार्ग के 10 कि.मी. परिधि का क्षेत्र लाल रंग के बोल्ड लाईन से चिन्हित है। कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, साथ ही वन प्रबंधन सूचना प्रणाली (FMIS) रायपुर के पोर्टल में उदन्ती सीतानदी अभ्यारण्य की सीमा का KML File, High Resolution गूगल अर्थ में Superimpose कर प्रस्तावित मार्ग दर्शित है, जो अभ्यारण्य की सीमा से 24.700 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, जिसकी प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है।

4	Compensatory afforestation has been proposed over 76.00 ha. degraded Reserve Forest land in two patches in compartment no. RF-287 - patch-1 (24.00 ha) and patch-2 (52.00 ha). But KML of 54.00 He is not visible on the Parivesh Portal	प्रस्तावित मार्ग में प्रभावित वनभूमि के दुगुने वनक्षेत्र हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए महासमुंद वनमंडल, पिथौरा परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक RF 287 के दो खंडों का KML File तकनीकी त्रुटि के कारण परिवेश पोर्टल में परिलक्षित नहीं हो पा रहा था, इसे पुनः पोर्टल में अपलोड करने हेतु उक्त KML File की CD संलग्न है। कृपया अपलोड करने का अनुरोध है।
5	Concerned DFO has mentioned in Part-II and site inspections report that some rare and endangered species of flora and fauna are found in the area. In this regard user agency needs to submit a conservation plan with consultation of the State Forest Government of Chhattisgarh.	प्रस्तावित मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण का कार्य वर्तमान में मौजूदा सड़क में ही किया जा रहा है। आपके द्वारा प्रस्ताव के भाग–II में जिन वनस्पति एवं प्राणीजगत के दुर्लभ एवं संकटापन्न प्रजातियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें निम्नानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत है :– 1. प्रथमतः ये प्रजातियां प्रस्तावित वनभूमि व्यपवर्तन के क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। 2. वनस्पति एवं प्राणीजगत की दर्शित प्रजातियां दुर्लभ एवं संकटापन्न श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं है। 3. प्रस्ताव अंतर्गत प्रभावित वनकक्ष 39, 55, 57, 71, 60, 58, 61, 38, 74, 76, 77, 78, 87, 63, 64, 69254, 258A & 266 A, 258, 259 एवं 260 के कार्य आयोजना (वर्ष 2018-19 से 2027-28 तक प्रभावशील) के कक्ष इतिहास में इन प्रजातियों के पाये जाने का उल्लेख नहीं है, साथ ही दुर्लभ अथवा संकटापन्न प्रजातियां उल्लेखित नहीं है। (उक्त कार्य अंतर्गत प्रभावित संपूर्ण कक्षों का कक्ष इतिहास की छायाप्रति संलग्न है।) साथ ही विशेष उल्लेखनीय है कि कार्य आयोजना अंतर्गत धमतरी वनमंडल में पाये जाने वाले वनस्पतियों की सूची में तेन्दु प्रजाति की बहुलता दर्शित है तथा कार्य आयोजना तालिका क्रमांक 3.2.3 में तेन्दु प्रजाति गत कार्य आयोजना के तुलना में वर्तमान में 6.18% की वृद्धि दर्ज है (तालिकों की छायाप्रति संलग्न है।) इस प्रकार प्रस्ताव के भाग–II में उल्लेखित प्रजातियां दुर्लभ एवं संकटापन्न नहीं है। अतः आवश्यक सुधार करने का अनुरोध है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार। (3 प्रति में)

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग धमतरी
संभाग–धमतरी (छ.ग.)

पृ. क्र. .... /शिल्प 24/वन विभाग/ धमतरी, दिनांक ....../....../ 2024

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ.), रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

सहपत्र :– शून्य।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग धमतरी
संभाग–धमतरी (छ.ग.)